

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०२०

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२० है।

संक्षिप्त नाम:

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का संशोधन.

(१) धारा ९ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित महापौर अर्थात् सभापति;”.

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(४) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र महापौर का निर्वाचन करने में असफल रहे या कोई वार्ड पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहे, तो यथास्थिति, ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिये छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परंतु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या समिति में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएंगी.”.

(२) धारा १० में, उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक में, शब्द “दो माह” के स्थान पर, शब्द “छह माह” स्थापित किए जाएं।

(३) धारा १४ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द “पार्षदों” के पश्चात्, शब्द “तथा महापौर” अन्तःस्थापित किए जाएं।

(ख) उपधारा (२) में, शब्द “पार्षदों” के पश्चात्, शब्द “तथा महापौर” अन्तःस्थापित किए जाएं।

(४) धारा १४-क में, उपधारा (१) में, शब्द “पार्षद” के स्थान पर, शब्द “महापौर अथवा पार्षद” स्थापित किए जाएं।

(५) धारा १४-ख में, शब्द "पार्षद" के स्थान पर, शब्द "महापौर अथवा पार्षद" स्थापित किए जाएं।

(६) धारा १४-ग में, शब्द "पार्षद" के पश्चात् शब्द "या महापौर" अन्तःस्थापित किए जाएं।

(७) धारा १५ में,—

(क) शब्द "पार्षदों" के पश्चात् शब्द "या महापौर" जोड़े जाएं;

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या महापौर के निर्वाचन में, एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।".

(८) धारा १६ में, उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(४) यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा।".

(९) धारा १७ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "पार्षद" के पश्चात् शब्द "या महापौर" जोड़े जाएं;

(ख) उपधारा (१) में,—

(एक) प्रारंभिक पैरा में, शब्द "पार्षद" के पश्चात् शब्द "या महापौर" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख ख) में, शब्द "पार्षद" के पश्चात् शब्द "या महापौर" अन्तःस्थापित किए जाएं.

(ग) उपधारा (२) में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "पार्षद" के पश्चात् शब्द "या महापौर" जोड़े जाएं;

(दो) प्रारंभिक पैरा में, शब्द "पार्षद" के पश्चात् शब्द "या महापौर" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(तीन) खण्ड (ठ) में, शब्द "पार्षद" के पश्चात् शब्द "या महापौर" अन्तःस्थापित किए जाएं.

(घ) उपधारा (३) में, शब्द "पार्षद" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द "पार्षद या महापौर" स्थापित किए जाएं।

(१०) धारा १७-ख में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "पार्षद" के स्थान पर, शब्द "महापौर तथा पार्षद" स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (१) में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द "प्रत्येक पार्षद" के स्थान पर, शब्द "महापौर तथा प्रत्येक पार्षद" स्थापित किए जाएं।

(ग) उपधारा (२) में,—

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द “पार्षद्” जहाँ कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द “महापौर या पार्षद्” स्थापित किए जाएं;

(दो) परन्तुक में, शब्द “पार्षद्” के स्थान पर, शब्द “महापौर या पार्षद्” स्थापित किए जाएं.

(११) धारा १८ में,—

(क) पाश्वर्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पाश्वर्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन”;

(ख) उपधारा (१) में, शब्द “तथा महापौर” का लोप किया जाए.

(१२) धारा २० में, स्पष्टीकरण में, शब्द “तथा महापौर” का लोप किया जाए.

(१३) धारा २३-क में,—

(क) पाश्वर्व शीर्ष में तथा उपधारा (१) में, शब्द “या महापौर” जहाँ कहीं भी वे आए हों, का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (२) के खण्ड (दो) में, शब्द “अध्यक्ष, महापौर” के स्थान पर, शब्द “महापौर” स्थापित किया जाए.

(१४) धारा २३-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“२४. (१) किसी निगम के प्रत्येक महापौर द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि विहित की जाए, निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

महापौर का वापस बुलाया जाना.

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरम्भ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया,—

(एक) उस तारीख से, जिसको कि ऐसा महापौर निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर; और

(दो) महापौर के उप चुनाव में निर्वाचित होने की दशा में उसकी पदावधि की आधी कालावधि का अवसान हो गया हो,

आरम्भ नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि महापौर को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण पदावधि में एक बार ही आरम्भ की जाएगी.

- (२) संभागीय आयुक्त, अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात् कि उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट तीन-चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी।
- (३) निर्देश प्राप्त होने पर, राज्य निर्वाचन आयोग, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने की व्यवस्था करेगा।”
- (१५) धारा ४४१ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, नगरपालिक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा。”

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३७ सन्
१९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा १९ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष अर्थात् सभापति (चेयरपर्सन);”

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(४) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र, अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहे या कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहे, तो यथास्थिति, ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिये छह माह के भीतर नवीन निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता उसे आकस्मिक रिक्ति के रूप में समझा जाएगा:

परंतु अधिनियम के अधीन उपाध्यक्ष या समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थिगित नहीं की जाएंगी।”.

(२) धारा २० में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(तीन) अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में नगरपालिक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा;”.

(३) धारा २१ में, उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक में, शब्द “दो माह” के स्थान पर, शब्द “छह माह” स्थापित किए जाएं।

(४) धारा ३२ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द “पार्षदों” के स्थान पर, शब्द “अध्यक्षों तथा पार्षदों” स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द “पार्षदों” के स्थान पर, शब्द “अध्यक्षों तथा पार्षदों” स्थापित किए जाएं.

(५) धारा ३२-क में, उपधारा (१) में, शब्द “पार्षद” जहाँ कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द “अध्यक्ष तथा पार्षद” स्थापित किए जाएं.

(६) धारा ३२-ख में, शब्द “पार्षद्” के स्थान पर, शब्द “अध्यक्ष तथा पार्षद्” स्थापित किए जाएं.

(७) धारा ३२-ग में, शब्द “पार्षद्” के स्थान पर, शब्द “पार्षद् या अध्यक्ष” स्थापित किए जाएं.

(८) धारा ३३ में,—

(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्द “पार्षदों” के पश्चात्, शब्द “या अध्यक्ष” जोड़े जाएं;

(ख) विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थातः—

“परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या अध्यक्ष के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.”

(९) धारा ३५ में, शब्द “पार्षद् के रूप में निर्वाचन या नामनिर्देशन” के पूर्व, शब्द “अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या” अन्तःस्थापित किए जाएं.

(१०) धारा ४३ में,—

(क) पाश्वर शीर्ष में, शब्द “अध्यक्ष तथा” का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थातः—

“(१) परिषद् का अध्यक्ष तथा निर्वाचित पार्षद्, धारा ५५ की उपधारा (१) में यथानिर्दिष्ट प्रथम सम्मिलन में, विहित रीति में निर्वाचित पार्षदों में से उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे.”;

(ग) उपधारा (३) में, शब्द “अध्यक्ष तथा” का लोप किया जाए.

(११) धारा ४३-क में,—

(क) पाश्वर शीर्ष में, और उपधारा (१) में, शब्द “अध्यक्ष या” जहाँ कहीं भी वे आए हों, का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (२) में, खण्ड (दो) में, शब्द “अध्यक्ष, उपाध्यक्ष” के स्थान पर, शब्द “उपाध्यक्ष” स्थापित किया जाए.

अध्यक्ष का वापस
बुलाया जाना.

(१२) धारा ४६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“४७. (१) किसी परिषद् के प्रत्येक अध्यक्ष द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो कि विहित की जाए, नगरपालिका क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन-चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे कलक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया,—

(एक) उस तारीख से, जिसको कि ऐसा अध्यक्ष निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर; और

(दो) अध्यक्ष के उप चुनाव में निर्वाचित होने की दशा में उसकी पदावधि की आधी कालावधि का अवसान हो गया हो,

आरंभ नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी सम्पूर्ण पदावधि में एक बार ही आरंभ की जाएगी.

(२) कलक्टर अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट तीन-चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने का प्रस्ताव कर दिया है, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट करेगी.

(३) निर्देश प्राप्त होने पर, राज्य निर्वाचन आयोग वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, मतदान करने के लिये व्यवस्था करेगा.”.

(१३) धारा ५५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

साधारण निर्वाचन के
पश्चात् प्रथम
सम्मिलन.

“५५. (१) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पन्द्रह दिन के भीतर, उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिये निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन बुलाए गए परिषद् के प्रथम सम्मिलन की अध्यक्षता कलक्टर द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी द्वारा, जो नगरपालिका परिषद् के मामले में डिप्टी कलक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो तथा नगर परिषद् के मामले में तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, की जाएगी और इस अध्याय में अंतर्विष्ट वे समस्त उपबंध जो परिषद् के सम्मिलनों के बारे में हैं, यथाशक्य ऐसे सम्मिलन के संबंध में लागू होंगे:

परन्तु अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को ऐसे सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में परिणाम का विनिश्चय लॉट द्वारा किया जाएगा.”.

- (१४) धारा ५६ में, अंक, चिन्ह, अक्षर तथा अर्धविराम “४३-क,” के पश्चात्, अंक तथा अर्धविराम “४७”, अन्तःस्थापित किए जाएं।
- (१५) धारा ६२ में, उपधारा (३) में, खण्ड (तीन) के परन्तुक में, अंक, चिन्ह तथा अक्षर “४३-क” के पश्चात्, शब्द, अंक तथा अर्धविराम “या ४७,” अन्तःस्थापित किए जाएं।
- (१६) धारा ६३ में, परन्तुक में, शब्द “अध्यक्ष” के पूर्व, शब्द “उपाध्यक्ष या”, अन्तःस्थापित किए जाएं।
- (१७) धारा ३२८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, शब्द “अध्यक्ष तथा” जहां कहीं भी वे आए हों, का लोप किया जाए।

उद्देश्यों के कारणों का कथन

नगरपालिक निगम में महापौर तथा नगरपालिक परिषद् के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन के उपबंध करने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित किया गया है कि वे संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। यदि नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष, नगरीय निकाय क्षेत्र के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित किए जाते हैं, तो उन्हें अपनी पसंद का जन प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्राप्त होगा। निर्वाचित जन प्रतिनिधि, अपने क्षेत्र के विकास के लिये नागरिकों के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे।

२. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी देखा गया है कि क्षेत्र को जोड़ने अथवा हटाने अथवा वार्ड का पुनर्गठन करने के लिये दो मास की कालावधि पर्याप्त नहीं है, अतएव उक्त कालावधि को दो मास के स्थान पर छह मास के लिये बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि तीन मास का समय मतदाताओं की सूची के पुनरीक्षण के लिये ही आवश्यक है।

३. वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए परिषद् का प्रथम सम्मिलन आहूत करने का उपबंध सरल तथा व्यावहारिक नहीं है। अतएव यह प्रस्तावित किया गया है कि निर्वाचन के पश्चात् परिषद् का प्रथम सम्मिलन बुलाने तथा उसकी अध्यक्षता करने के लिये कलक्टर को प्रधिकृत किया जाए।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ५ सितम्बर, २०२०।

भूपेन्द्र सिंह

भारसाधक सदस्य।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड-२ (१४) महापौर को वापस बुलाने के संबंध में प्रक्रिया विहित किये जाने,

खण्ड-३ (१०) (ख) निर्वाचित पार्षदों में से उपाध्यक्ष के निर्वाचन की रीति विहित किये जाने;

(१२) (१) अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में प्रक्रिया विहित किये जाने, तथा

(३) अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के प्रस्ताव पर मतदान कराये जाने की रीति विहित किये जाने,

के संबंध में नियम बनाये जाएंगे जो सामान्य स्वरूप के होंगे।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

**मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका
अधिनियम, १९६१ से उद्धरण.**

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६

* * * * *

१. नगरपालिक निगम की संरचना

(१) नगरपालिक निगम निम्नलिखित से मिलकर करेगा:—

(क) नगरपालिक वार्डों से निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित महापौर;

* * * * *

(४) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद् का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष, महापौर किन्हीं विभागीय समितियों या समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थिगित नहीं की जाएंगी.

* * * * *

१०.(४) परन्तु किसी भी नगरपालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के दो माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किये जाने या हटाये जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार आने वाली निर्वाचन प्रक्रिया हेतु लागू होंगे।

* * * * *

१४. (१) नगरपालिक निगमों के पार्षदों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार कराये जाने और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा.

(२) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिए और नगरपालिक निगमों के पार्षदों के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए नियम बनाएगी.

* * * * *

१४-क (१) पार्षद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिसके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा.

* * * * *

१४-ख पार्षद के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीन दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धास १४-क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

* * * * *

१४-ग यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (क) यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि कोई व्यक्ति निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नियम का पार्षद होने के लिए उस आदेश की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए निरहित होगा।

* * * *

१५. ऐसा प्रत्येक मतदाता को किसी कार्ड में तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, पार्षदों के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होगा और कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षदों के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।

* * * *

१७. (१) कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्षद नहीं होगा जो—

- (क) *
- (ख) *

(ख-ख) पार्षद के रूप में और आगे निर्वाचित किए जाने या नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए धारा १७-ए के अधीन निरहित कर दिया गया हो, जब तक कि वह ऐसी निरहता से राज्य सरकार द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो :

* * * *

(२) पार्षद बने रहने के लिए अयोग्यता—

यदि कोई पार्षद ऐसी अवधि के भीतर, जिसके लिए वह (निर्वाचित) या (नामनिर्दिष्ट) किया गया हो—

* * * *

(ड) धारा १४-ग के अधीन पार्षद के रूप में चुने जाने के लिए तथा होने के लिए निरहित हो जाता है :

* * * *

तो वह उपधारा (३) के आदेशों के पालन के अधीन पार्षद के रूप में बने रहने के अयोग्य होगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा:

परन्तु उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन की कोई निरहता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि दोषसिद्धि के तारीख से तीन मास न बीत चुके हों या उस कालावधि के भीतर दोषसिद्धि या दंडादेश के संबंध में कोई अपील फाइल की जाती है या पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन फाइल किया जाता है, तो जब तक कि ऐसी अपील या आवेदन का निपटारा न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता है।

(३) उपधारा (१) के खण्ड (एन) और उपधारा (२) के खण्ड (ई) के अधीन आने वाले प्रकरणों के सिवाय प्रत्येक प्रकरण में यह निर्णय देने के लिये कि क्या इस धारा के अधीन कोई स्थान रिक्त हुआ है सक्षम प्राधिकारी शासन होगा। यह निर्णय या तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र पर या स्वयं की प्रेरणा पर दिया जा सकेगा। जब तक शासन यह निर्णय न कर दे कि स्थान रिक्त हुआ है, वह पार्षद के रूप में बने रहने के लिये अयोग्य नहीं होगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी आज्ञा किसी भी पार्षद के विरुद्ध उसे सुने जाने का यथोचित अवसर दिए बिना नहीं दी जाएगी।

* * * * *

१७. ख (१) प्रत्येक पार्षद् यथास्थिति, निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेगा :—

* * * * *

(२) यदि पार्षद उपधारा (१) के अधीन शपथ नहीं लेता है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है:

परंतु यदि पार्षद, संभागीय आशुकृत की अनुमति के सिवाय, उसके निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से तीन माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयंमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा।

* * * * *

१८. (१) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा २२ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा महापौर के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा।

* * * * *

२०. स्पष्टीकरण.—अध्यक्ष तथा महापौर को निर्वाचित करने के लिए धारा (१८) की उपधारा (१) के अधीन किए गए सम्मिलन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के प्रयोजन के लिए प्रथम सम्मिलन है।

* * * * *

२३-क. (१) अध्यक्ष या महापौर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (२) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में किसी निर्वाचित पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, तो अध्यक्ष या महापौर का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जाएगा:

परंतु अध्यक्ष या महापौर के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव,—

(एक) उस तारीख से जिससे कि अध्यक्ष या महापौर अपना पद ग्रहण करे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर,

(दो) उस तारीख से, जिस पर कि पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष के भीतर नहीं होगा।

(२) (दो) ऐसे सम्मिलन की सूचना, तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए अध्यक्ष, महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को सम्मिलन के दस पूर्ण दिन पूर्व भेजी जाएगी:

* * * * *

४४१. (२) (ख) (तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, किसी निर्वाचित पार्षद द्वारा ”.

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१)

१९. (१) नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।

(क) नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् के निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष अर्थात् सभापति (चेयरपर्सन);

* * * *

(४) यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो ऐसी वार्ड के स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्त समझा जाएगा:

परंतु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किन्हीं समितियों के निर्वाचन की कार्यवाहियां ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते हुए स्थगित नहीं की जाएंगी।

* * * *

२०. (२) (ख) (तीन) अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में किसी पार्षद द्वारा।

२१. (४) परन्तु किसी भी नगरपालिका के कार्यकाल की पूर्णता के दो माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किये जाने या हटाये जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार आने वाली निर्वाचन प्रक्रिया हेतु लागू होंगे।

* * * *

३२. (१) नगरपालिका के पार्षदों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामवलियाँ तैयार कराए जाने और पार्षदों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(२) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामवलियाँ तैयार करने के लिये और नगरपालिका के पार्षदों के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए नियम बनाएंगी।

३२-क. पार्षद के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा—

(१) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा।

स्पष्टीकरण—एक—किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध में किसी राजनैतिक दल द्वारा अथवा व्यक्तियों के किसी राजनैतिक दल द्वारा अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य संगम या निकाय द्वारा अथवा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये यह नहीं समझा जायेगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है।

३२-ख. पार्षद के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अध्यर्थी निर्वाचन की तारीख से ३० दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा ३२-क के अधीन रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा।

३२-ग. यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है, कि कोई व्यक्ति,—

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा
- (ख) उस असफलता के लिये कोई अच्छा कारण न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या नगर परिषद् का पार्षद होने के लिये उस आदेश की तारीख से पाँच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निरहित होगा।

३३. ऐसे प्रत्येक मतदाता जो किसी वार्ड में तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है पार्षदों के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिये पात्र होगा और कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षद के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।

* * * * *

३५. कोई भी व्यक्ति पार्षद के रूप में निर्वाचन या नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

* * * * *

४३. (१) राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद् के प्रत्येक निर्वाचन के तुरंत पश्चात् अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा। परिषद् के निर्वाचित सदस्य धारा ५५ में यथाविनिर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मिलन में निर्वाचित पार्षदों में से विहित रीति में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

(३) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि परिषद् की पदावधि से सहविस्तारी होगी।

४३ क. (१) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (२) के अधीन उस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में निर्वाचित किसी पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत उस समय परिषद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो तो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद तत्काल रिक्ति को भरने के लिए भेजी जाएगी:

परन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव,—

- (एक) उस तारीख से, जिससे कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर :
- (दो) उस तारीख से, जिस तारीख के पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, नहीं होगा।

(२) (दो) ऐसे सम्मिलन की सूचना, तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक पार्षद को सम्मिलन के दस पूर्ण दिन पूर्व भेजी जाएगी।

५५. (१) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा ४५ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के १५ दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जाएगा, जैसी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित की जाए, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में परिणाम लॉट द्वारा ऐसी रीति में विनिश्चय किया जाएगा, जैसी की विहित की जाए।

५६. (१) परिषद् का सम्मिलन या तो मामूली होगा या विशेष;

(२) धारा ४३, ४३क, ५५ या ७१ में निर्दिष्ट किए गए सम्मिलन के सिवाय, प्रत्येक सम्मिलन की तारीख अध्यक्ष द्वारा, या उसके कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, उपाध्यक्ष द्वारा और उसके संबंध में भी इसी प्रकार की दशा होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी।

* * * * *

६२. (३) (तीन) जब ऐसा विनिश्चय सर्वसम्मत नहीं है, तब ऐसे प्रश्न के पक्ष में और विषय में मतों की संख्या और मतदान करने वाले पार्षदों के नाम तथा उन पार्षदों के नाम जो तदस्थ रहे हैं, चाहे मत विभाजन पद्धति के लिये गए हैं या अन्य प्रकार से:

परन्तु धारा ४३क के अधीन सम्मिलन के मामले में पार्षदों के नाम अभिलिखित करने से संबंधी उपबंध प्रश्न के लिए तथा उसके विरुद्ध मत (वोटिंग) देने के लिये लागू नहीं होगा।

६३. इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे समस्त प्रश्नों का विनिश्चय जो इस अधिनियम के अधीन होने वाले सम्मिलन के समक्ष लाए जाएं, अध्यक्ष तथा उपस्थित निर्वाचित पार्षदों के बहुमत से किया जाए और मतों की समानता की दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा;

परन्तु किसी समिति के सभापति के निर्वाचन में मतों की समानता की दशा में अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा और परिणाम का विनिश्चय लाट द्वारा किया जाएगा।

* * * * *

३२८. (१) (ख) धारा ४३ की उपधारा (१) के अधीन पार्षदों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में पार्षदों के निर्वाचन के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पदावधि की समाप्ति के एक मास के भीतर, नगरपालिका के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन न करे।

* * * * *

ए. पी. सिंह,
ग्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।